



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

(संशोधित-II)

(दिनांक 24.04.2017 तक)

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम

क्लस्टर मैनुअल



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग राजस्थान, जयपुर

क्लस्टर मैनुअल

1. क्लस्टर एप्रोच

क्लस्टर एप्रोच से तात्पर्य दस्तकारों/लघु उद्यमों के विकास हेतु सामूहिक प्रयास करने की अवधारणा से है। इस अवधारणा के अंतर्गत दस्तकारों/लघु उद्यमों की सामूहिक समस्याओं की पहचान कर उनके विकास हेतु अपनायी जाने वाली सामूहिक गतिविधियों का निर्धारण किया जाता है एवं तदनुरूप एकीकृत क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान तैयार कर उसकी क्रियान्विति के माध्यम से दस्तकारों/लघु उद्यमों की आय, उत्पादन एवं टर्नओवर में वृद्धि के प्रयास किये जाते हैं।

2. क्लस्टर की परिभाषा

क्लस्टर से तात्पर्य लगभग 10 से 15 किलोमीटर की परिधि में स्थित दस्तकारों/लघु उद्यमों के ऐसे समूह से है, जिसमें कम से कम 50 दस्तकार/लघु उद्यम एक ही प्रकार के समान कच्चे माल का उपयोग कर, समान उत्पादन प्रक्रिया अपनाते हुए, समान प्रकार के

अत
24/4/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं

शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

उत्पाद तैयार करते हैं। दस्तकारों/लघु उद्यमों के विकास को दृष्टिगत रखते हुए उनकी संख्या एवं परिधि में राज्य स्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा छूट दी जा सकती है।

3. क्लस्टर के चयन की प्रक्रिया

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर के चयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

1. राज्य में स्थित दस्तकार/लघु उद्यम क्लस्टर से संबंधित आधारभूत सूचनायें संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त कर राज्य में स्थित दस्तकार /लघु उद्यम क्लस्टर की पृथक पृथक सूचियां तैयार की जायेंगी।
2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों से उनके जिले में स्थित दस्तकार/लघु उद्यम क्लस्टर, जिनमें क्लस्टर विकास गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं, के प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।
3. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रतिवर्ष विकसित किये जाने वाले क्लस्टर का प्रारम्भिक चयन आयुक्त उद्योग के स्तर पर किया जायेगा। क्लस्टर के चयन के आधार परिशिष्ट-3 के अनुसार होंगे।
4. आयुक्त, उद्योग द्वारा चयनित क्लस्टर की डीएस कम डीपीआर राजकीय एजेन्सियों/क्लस्टर विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ संस्थाओं यथा- ग्रामीण गैरकृषि विकास अभिकरण (रूडा), उद्यम प्रोत्साहन संस्थान (यूपीएस), सीपेट, सीजीसीआरआई, सीएलआरआई,

अतः
24/4/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं

शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

एफडीडीआई, एनआईएफटी, एनआईडी, नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ एमएसएमई, हैदाराबाद (आन्ध्र प्रदेश) आदि को प्रथम वरीयता प्रदान करते हुए तैयार कराई जायेगी एवं इन संस्थाओं द्वारा परियोजना क्रियान्वयन हेतु सहमति नहीं दिये जाने पर पूर्व की भांति चयनित क्लस्टर की डीएस कम डीपीआर स्वयं सेवी संस्थाओं/कंसल्टेंट्स से कराने हेतु संस्थाओं/कंसल्टेंट्स के चयन के लिए समाचार पत्रों में एकप्रेसन ऑफ इन्ट्रेस्ट जारी किया जायेगा। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ. /क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा संशोधित)

5. एकस्प्रेसन ऑफ इन्ट्रेस्ट के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर डाइग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.एस. कम डीपीआर) तैयार करने हेतु परिशिष्ट-4 के अनुसार पात्र संस्थाओं/कंसल्टेंट्स का चयन आयुक्त, उद्योग स्तर पर किया जायेगा।
6. राजकीय एजेन्सियों/क्लस्टर विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ संस्थाओं/स्वयंसेवी संस्थाओं/कंसल्टेंट्स द्वारा तैयार करायी गयी डीएस कम डीपीआर के अनुसार राज्य स्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति में परियोजना का अनुमोदन कराया जायेगा।(आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ./क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा संशोधित)
7. जिन क्लस्टर की डाइग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी. एस. कम डीपीआर) राज्यस्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित की जायेगी उन्हीं क्लस्टर का चयन राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास गतिविधियां संचालित करने हेतु किया जा सकेगा।

अर्थ
24/4/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

4. क्लस्टर डाइग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट
(डी.एस कम डीपीआर) तैयार कराने की प्रक्रिया

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर की डाइग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.एस. कम डीपीआर) तैयार कराने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

1. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम में क्लस्टर की डाइग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.एस. कम डीपीआर), समाचार पत्रों में प्रकाशित एक्सप्रेसन ऑफ इन्ट्रेस्ट के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों में से, उन्हीं संस्थाओं/कंसल्टेंट्स द्वारा करायी जा सकेगी, जिनका चयन आयुक्त, उद्योग द्वारा किया जायेगा।
2. क्लस्टर की डीएस कम डीपीआर तैयार करने हेतु राजकीय एजेन्सियों/क्लस्टर विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ संस्थाओं/स्वयंसेवी संस्थाओं/कंसल्टेंट्स को कम से कम एक माह का समय दिया जायेगा। क्लस्टर की प्रकृति एवं क्षेत्र को देखते हुए यह समय अधिकतम 3 माह तक दिया जा सकेगा।(आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ. /क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा संशोधित)
3. डीएस कम डीपीआर तैयार करने हेतु राजकीय एजेन्सियों/क्लस्टर विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ संस्थाओं/स्वयंसेवी संस्थाओं/कंसल्टेंट्स को कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा।(आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ./क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा संशोधित)
4. प्रावधान को क्लस्टर मैनुअल से विलुप्त किया गया। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ./क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-III दिनांक 6 सितम्बर, 2010 द्वारा संशोधित)

अर्प
24/4/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

5. प्रावधान को क्लस्टर मैनुअल से विलुप्त किया गया। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ./क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-II दिनांक 6 सितम्बर, 2010 द्वारा संशोधित)
6. राजकीय एजेन्सियों/क्लस्टर विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ संस्थाओं/स्वयंसेवी संस्थाओं/कंसल्टेंट्स द्वारा तैयार की गयी डीएस कम डीपीआर के अनुसार राज्य स्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति में परियोजना का अनुमोदन कराया जायेगा। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ./क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा संशोधित)

5. क्रियान्वयन एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेन्सी के चयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

1. राज्य स्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित डीएस कम डीपीआर का क्रियान्वयन राजकीय एजेन्सियों/क्लस्टर विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ संस्थाओं यथा- ग्रामीण गैरकृषि विकास अभिकरण (रूडा), उद्यम प्रोत्साहन संस्थान (यूपीएस), सीपेट, सीजीसीआरआई, सीएलआरआई, एफडीडीआई, एनआईएफटी, एनआईडी, नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ एमएसएमई, हैदाराबाद (आन्ध्र प्रदेश) आदि के माध्यम से कराया जायेगा। इन संस्थाओं द्वारा परियोजना क्रियान्वयन हेतु सहमति नहीं दिये जाने पर पूर्व की भांति एक्सप्रेसन ऑफ इन्ट्रेस्ट जारी कर क्रियान्वयन एजेन्सी का चयन किया जायेगा। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ./क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा संशोधित)

अ
24/4/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

2. क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में संस्था/कंसल्टेंट के चयन हेतु पात्रता की शर्तें परिशिष्ट-4 के अनुसार होंगी।
3. समाचार पत्रों में प्रकाशित एक्सप्रेसन आफ इंट्रेस्ट के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों की परिशिष्ट-4 के आधार पर पात्रता की जांच की जायेगी एवं पात्र संस्था/कंसल्टेंट एजेन्सी का प्रस्तुतिकरण राज्य स्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष कराया जाकर अनुमोदित डाइग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.एस. कम डीपीआर) के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी का चयन कराया जायेगा।
4. किसी भी एक संस्था/कंसल्टेंट एजेन्सी का चयन एक समय में अधिकतम 2 क्लस्टर में डाइग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.एस. कम डीपीआर) की क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में किया जा सकेगा।
5. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेन्सी के मनोनयन से पूर्व संस्था/कंसल्टेंट की दक्षता परीक्षण हेतु 6 माह के क्लस्टर एन्ट्री प्रोग्राम के तहत गतिविधियां संस्था/कंसल्टेंट से क्रियान्वित करायी जायेगी। क्लस्टर एन्ट्री प्रोग्राम के तहत संपन्न करायी जानी वाली गतिविधियों के लिए राज्य क्लस्टर विकास मद से निम्न दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा :-

क्रम संख्या	गतिविधि का नाम	पारिश्रमिक की दर
1.	स्वयं सहायता समूह का गठन (आवश्यक होने पर)	10,000 रु. प्रति स्वयं सहायता समूह
2.	एसपीवी का गठन (अनिवार्य)	15,000 रु. (सहकारी समिति/संस्था/ट्रस्ट बनाने पर) 25,000 रु. (प्रोड्यूसर कंपनी बनाने पर)

31/12/2017



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

3.	दस्तकारों को विभिन्न सुविधाओं हेतु प्रोत्साहन :- 1. आर्टिजन पहचान पत्र 2. विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार की हस्तशिल्प बीमा योजना के तहत आवेदन 3. आर्टिजन्स/स्वयं सहायता समूह को बैंक से ऋण सुविधा 4. आर्टिजन क्रेडिट कार्ड	25 रु. प्रति दस्तकार प्रति सुविधा (सुविधा उपलब्ध होने पर)
4.	क्लस्टर कोर्डिनेटर का मानदेय	8,000 रु. प्रतिमाह (6 माह के लिए)

क्लस्टर एन्ट्री प्रोग्राम के तहत उक्त गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन करने पर महाप्रबन्धक, जि.उ.के. से संस्था/कंसल्टेंट के कार्य की संतुष्टि एवं क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में मनोनयन के संबंध में अभिशंषा प्राप्त होने पर ही संबंधित संस्था/कंसल्टेंट को क्लस्टर में क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में मनोनीत किया जा सकेगा। (आदेश क्रमांक एफ 32(87)आ.उ./क्ल. अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-८ दिनांक 6 सितम्बर, 2010 द्वारा सम्मिलित किया गया।)

6. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत फंड्स रिलीज करने की प्रक्रिया

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेन्सियों को फंड्स रिलीज करने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

1. प्रत्येक क्लस्टर के लिए राज्यस्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित डाइग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.एस. कम डीपीआर) के आधार पर प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु

अंक
24/4/2018)



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

- क्रियान्वयन एजेन्सियों को समस्त राशि महाप्रबन्धक, जि.उ.के. के माध्यम से रिलीज की जायेगी।
2. महाप्रबन्धक, जि.उ.के. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग-3 के नियम 26(iv) के तहत क्रियान्वयन एजेन्सियों को अनुमोदित वार्षिक प्रोजेक्ट की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि रिवाल्विंग फंड में अग्रिम स्वीकृत कर रिलीज करने हेतु अधिकृत होंगे।
 3. क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा क्लस्टर विकास गतिविधियां संपन्न करने के उपरान्त व्यय की गयी राशि के बिल/वाउचर्स प्रस्तुत करने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र इनका भुगतान, भौतिक एवं वित्तीय सत्यापन करने के उपरान्त, नियमानुसार प्रतिमाह करेंगे।
 4. महाप्रबन्धक, जि.उ.के. क्रियान्वयन एजेन्सियों को स्वीकृत की गयी अग्रिम राशि का समायोजन 3 माह के अंदर कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
 5. क्रियान्वयन एजेन्सियों को प्रशासनिक व्यय की राशि वित्तीय वर्ष के अंत में उनके द्वारा संपन्न सॉफ्ट इंटरवेशंस की लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत स्वीकृत कर भुगतान की जा सकेगी।
 6. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेन्सियों को कुल अनुमोदित प्रोजेक्ट की अधिकतम 90 प्रतिशत राशि का भुगतान ही महाप्रबन्धक, जि.उ.के. द्वारा किया जा सकेगा।
 7. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेन्सियों को प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर देय अनुमोदित प्रोजेक्ट की 10 प्रतिशत राशि का अन्तिम भुगतान राज्यस्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
 8. क्रियान्वयन एजेन्सियों को समस्त भुगतान/अग्रिम राशि का समायोजन क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा किये गये व्यय का रिकार्ड से सत्यापन एवं

37/5
24/4/2017



राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

संतुष्टि उपरांत ही महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा।

7. क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा :-

1. आयुक्त, उद्योग द्वारा चयनित क्लस्टर के लिए राज्यस्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन, समिति द्वारा चयनित क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा ही किया जा सकेगा।
2. क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उत्तरदायी होंगे। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र क्रियान्वयन एजेन्सी से अनुमोदित प्रोजेक्ट के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु टाईम मैट्रिक्स परिशिष्ट-5 के अनुसार तैयार करवाकर तदनुसार प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
3. क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए आयुक्त, उद्योग द्वारा संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों को बजट आवंटित किया जायेगा, जिसका उपयोग महाप्रबन्धक चयनित क्रियान्वयन एजेन्सी के माध्यम से कर सकेंगे।
4. महाप्रबन्धक प्रत्येक क्लस्टर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए जिला उद्योग केन्द्र के स्टाफ में से क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति करेंगे। क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव परिशिष्ट-6 में उल्लेखित कार्य संपन्न करेंगे।

अतः
24/4/20



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं

शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

5. क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति संपूर्ण प्रोजेक्ट अवधि के लिए की जायेगी तथा उसमें परिवर्तन आयुक्त, उद्योग की सहमति से ही किया जा सकेगा।
6. महाप्रबन्धक माह में कम से कम 2 बार क्लस्टर का विजिट कर क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एवं उपयोग में लिए जा रहे बजट की राशि की समीक्षा करेंगे।
- 6(अ). महाप्रबन्धक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रत्येक क्लस्टर की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति परिशिष्ट-7 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
7. महाप्रबन्धक, प्रत्येक क्लस्टर के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में क्लस्टर की वार्षिक रिपोर्ट क्रियान्वयन एजेन्सी से तैयार कराकर अपनी टिप्पणी के साथ मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
8. प्रत्येक क्लस्टर की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र संतुष्ट होने पर 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय का भुगतान कर सकेंगे एवं प्रोजेक्ट समाप्ति पर अंतिम रिपोर्ट के राज्य स्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन पश्चात् ही अनुबंध के अनुसार अंतिम रूप से रोकी गयी प्रोजेक्ट कॉस्ट की 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा सकेगा। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ. उ./क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा संशोधित)

37K
24/4/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

8. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मोनिटरिंग प्रक्रिया

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मोनिटरिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

1. कार्यक्रम की मोनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में एक मोनिटरिंग कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1. महाप्रबन्धक, जि.उ.के.	अध्यक्ष
2. संबंधित क्लस्टर डेवलपमेन्ट एग्जीक्यूटिव	सदस्य
3. क्रियान्वयन एजेन्सियों के अध्यक्ष/सचिव	सदस्य
4. सीएफसी भवन निर्माण एजेन्सी का प्रभारी अधिकारी	सदस्य
5. क्लस्टर में गठित एसपीवी/फेडरेशंस के अध्यक्ष/सचिव	सदस्य
6. जिला उद्योग केन्द्र में पदस्थापित लेखाकार/क.लेखाकार	सदस्य
7. क्लस्टर से संबंधित एसोसिएशन का प्रतिनिधि (महाप्रबन्धक, जि.उ.के. द्वारा मनोनीत)	सदस्य
8. मुख्यालय से मनोनीत क्लस्टर प्रभारी (प्रत्येक त्रैमास में एक बार बैठक में भाग लेंगे)	सदस्य

2. जिला स्तर पर गठित मोनिटरिंग कमेटी की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी एवं उसमें डेवलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं प्लान के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। मोनिटरिंग कमेटी की बैठक में लिए गये

अर्थ
24/4/20)



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रति माह मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

3. मुख्यालय में स्थित क्लस्टर प्रभारी/संयुक्त निदेशक, उद्योग(क्लस्टर) द्वारा प्रत्येक छमाही में कम से कम एक बार प्रत्येक क्लस्टर का विजिट किया जायेगा एवं प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ समस्याओं का मौके पर समाधान किया जायेगा।
4. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम की समीक्षा राज्य स्तर पर प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार राज्यस्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जायेगी।

9. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इवैल्युएशन प्रक्रिया

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इवैल्युएशन प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

1. प्रत्येक क्लस्टर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की क्रियान्विति आरम्भ होने के 18 माह पश्चात् निदेशालय मूल्यांकन संगठन के माध्यम से इसका मिडटर्म इवैल्युएशन कराया जायेगा। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ./क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा संशोधित)
2. प्रावधान विलोपित किया जाता है। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ./क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा संशोधित)

अ
24/4/17



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

3. मिडटर्म इवैल्युएशन के अंतर्गत प्राप्त सुझावों एवं ज्ञात तथ्यों के आधार पर क्लस्टर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एवं उसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किया जा सकेगा।
4. प्रावधान विलोपित किया जाता है। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ. /क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा संशोधित)
5. प्रावधान विलोपित किया जाता है। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ. /क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा संशोधित)
6. प्रत्येक क्लस्टर में क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान की क्रियान्विति समाप्त होने के पश्चात् क्रियान्वयन एजेन्सी से एक अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी जिसमें क्लस्टर की प्रारम्भिक अवस्था, क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत क्रियान्वित गतिविधियों एवं उनपर व्यय हुई राशि का वर्षवार विवरण तथा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की क्रियान्विति के पश्चात् क्लस्टर में आये परिवर्तनों यथा- दस्तकारों/लघु उद्यमों की आय, उत्पादन, टर्नओवर, निर्यात, रोजगार सृजन आदि का उल्लेख होगा।
7. क्रियान्वयन एजेन्सी से प्राप्त अन्तिम रिपोर्ट पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की टिप्पणी प्राप्त की जायेगी।
8. प्रत्येक क्लस्टर की अन्तिम रिपोर्ट निदेशालय मूल्यांकन संगठन, जयपुर को सौंपकर इसका अन्तिम इवैल्युएशन एवं इम्पेक्ट असेसमेंट कराया जायेगा। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ. /क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा संशोधित)

31/4
24/4/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं

शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

9 प्रावधान विलोपित किया जाता है। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ. /क्ल.अनु./क्ल.मैन्यु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा संशोधित)

10. प्रत्येक क्लस्टर की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसका अनुमोदन राज्य स्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति से कराया जायेगा एवं तदुपरान्त ही क्रियान्वयन एजेन्सी को प्रोजेक्ट कोस्ट की अनुबंध के अनुसार रोकी गयी 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा सकेगा। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ./क्ल.अनु./क्ल.मैन्यु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा संशोधित)

10. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीएफसी की स्थापना एवं संचालन

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिन क्लस्टर में क्लस्टर विकास गतिविधियां संचालित की जायेंगी, उनमें आवश्यक होने पर कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना की जा सकेगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

1. क्लस्टर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की आवश्यकता का निर्धारण डाइग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.एस. कम डीपीआर)के आधार पर किया जायेगा।
2. प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के दौरान भी यदि क्लस्टर के दस्तकार/लघु उद्यम, क्लस्टर में सीएफसी की आवश्यकता महसूस करेंगे तो जिला स्तर पर गठित मोनिटरिंग कमेटी की अभिशंषा पर प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राज्यस्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा क्लस्टर में सीएफसी की आवश्यकता का निर्धारण किया जा सकेगा।

37/5
24/4/2017



राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

3. क्लस्टर में सीएफसी की आवश्यकता का निर्धारण होने पर इसकी स्थापना एवं संचालन के लिए स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) का गठन करना अनिवार्य होगा। एसपीवी का गठन किसी सहकारी समिति, फेडरेशन, एसोसिएशन, प्रोड्यूसर कंपनी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया जा सकेगा।
4. क्लस्टर में सीएफसी की स्थापना व संचालन के लिए गठित किये जाने वाले स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) में क्लस्टर के दस्तकारों/लघु उद्यमों के अतिरिक्त कच्चा माल आपूर्तिकर्ताओं, तैयार माल के क्रेताओं, बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर्स, वित्तीय संस्थाओं एवं क्लस्टर में सहयोगी अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों को भी स्टोक होल्डर के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।
5. एसपीवी के गठन के उपरांत क्लस्टर में प्रस्तावित सीएफसी में उपलब्ध करायी जाने वाली सामान्य सुविधाओं यथा- स्किल/डिजाइन प्रशिक्षण, प्रोसेसिंग वर्क, कच्चा माल बैंक, डिस्ट्रे काउन्टर, इंटरनेट मार्केटिंग, कच्चे माल एवं तैयार माल की टेस्टिंग, कामन टायलेट एवं यूरिनल्स, फौकल्टीज के ठहरने हेतु गेस्टहाउस एवं कैंटीन आदि का निर्धारण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
6. सीएफसी में प्रस्तावित सामान्य सुविधाओं के लिए आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों की आवश्यकता, विद्युत एवं पानी की व्यवस्था, सीएफसी के संचालन हेतु स्टाफ की व्यवस्था एवं आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता का निर्धारण भी किया जायेगा।
7. डाइग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.एस. कम डीपीआर) में प्रस्तावित नहीं होने की स्थिति में, मोनिटरिंग कमेटी की अभिशंखा पर सीएफसी की स्थापना एवं इसके संचालन पर होने वाले व्यय की

37/1
24/4/2017



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

स्ववित्त पोषित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किसी कंसल्टेंट के माध्यम से सीएफसी की फिजिबिलिटी एवं वायबिलिटी रिपोर्ट क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा तैयार करायी जायेगी, जिसे तैयार कराने के लिए राज्य क्लस्टर विकास मद से राज्यस्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

8. सीएफसी की फिजिबिलिटी एवं वायबिलिटी रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्यों का समावेश करना आवश्यक होगा :-

1. सीएफसी स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता का निर्धारण
2. सीएफसी स्थापना के लिए भूमि की पहचान
3. सीएफसी के लिए आवश्यक भवन का मानचित्र एवं अनुमानित भवन निर्माण लागत का विवरण।
4. सीएफसी में सामान्य सुविधाओं के लिए आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों की आवश्यकता एवं लागत का निर्धारण एवं विवरण।
5. सीएफसी में आवश्यक विद्युत एवं पानी की आवश्यकता एवं लागत का विवरण
6. सीएफसी में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विवरण
7. सीएफसी के संचालन के लिए आवश्यक स्टाफ का विवरण।
8. सीएफसी में सृजित होने वाली परिसंपत्तियों के रखरखाव, मरम्मत पर होने वाले व्यय का विवरण।
9. सीएफसी में सृजित परिसंपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाले व्यय का विवरण।

31/5
24/4/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

10. सीएफसी परिसर में वातावरण को शुद्ध रखने के लिए किये जाने वाले वृक्षारोपण एवं लघु उद्यान के संधारण पर होने वाले व्यय का विवरण।
11. सीएफसी के अंतर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की एवज में लाभान्वितों से वसूल की जाने वाली दरों का विवरण एवं इनसे होने वाली मासिक एवं वार्षिक आय का विवरण।
12. सीएफसी में होने वाली आय से क्या सीएफसी के संचालन व्यय वहन किये जा सकते हैं, का विवरण।
13. यदि प्रारम्भिक वर्षों में सीएफसी के संचालन व्यय के कुछ भाग हेतु राजकीय सहायता की आवश्यकता हो तो, उसका विवरण।
14. यदि सीएफसी संचालन व्यय में राजकीय सहायता की आवश्यकता हो तो सीएफसी कब तक स्ववित्त पोषित हो जायेगी, का विवरण।
15. सीएफसी की स्थापना से क्लस्टर के दस्तकारों/लघु उद्यमों को मिलने वाले लाभ का विवरण।
16. सीएफसी की स्थापना से क्लस्टर पर पडने वाले अनुकूल प्रभावों का विवरण।
9. क्लस्टर की डाइग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.एस. कम डीपीआर) में सीएफसी प्रस्तावित किये जाने पर भी बिन्दु संख्या-8 में अंकित तथ्यों का उल्लेख प्रोजेक्ट रिपोर्ट में करना होगा।
10. क्लस्टर में सीएफसी स्थापना एवं संचालन के संबंध में तैयार की गयी फिजिबिलिटी एवं वायबिलिटी रिपोर्ट का अनुमोदन राज्यस्तरीय क्लस्टर

अतः
25/4/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति से कराने के उपरांत ही क्लस्टर में सीएफसी की स्थापना की जा सकेगी।

11. क्लस्टर में सीएफसी के भवन निर्माण का कार्य किसी राजकीय एजेन्सी यथा-पीडब्ल्यूडी, रीको, आरएसआरडीसी, राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर निगम के माध्यम से ही कराया जा सकेगा। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ./क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा संशोधित)
12. महाप्रबन्धक, जि.उ.के. की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित क्रय समिति से अनुमोदन पश्चात् सीएफसी में प्रस्तावित मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद संबंधित एसपीवी द्वारा की जायेगी। इस संबंध में क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। एसपीवी द्वारा मशीनरी एवं उपकरणों के लिए क्रयादेश देने से पूर्व क्रयादेश का अनुमोदन भी महाप्रबन्धक, जि.उ.के. से प्राप्त किया जायेगा। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ./क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-II दिनांक 6 सितम्बर, 2010 द्वारा संशोधित)
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र सीएफसी में प्रस्तावित मशीनरी एवं उपकरणों की स्थापना के लिए गठित क्रय समिति की बैठकों में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में अभियांत्रिकी महाविद्यालय/ पोलिटेक्निक महाविद्यालय/ आईटीआई के प्राध्यापक/इन्स्ट्रक्टर एवं अनुभवी उद्यमी को सदस्य के रूप में आमन्त्रित कर सकेंगे।
14. लघु उद्यम क्लस्टर में गठित एसोसिएशन द्वारा यदि एसपीवी के रूप में कार्य करते हुए क्लस्टर में सीएफसी की स्थापना भारत सरकार/वित्तीय संस्था से सहायता/ऋण प्राप्त कर, की जाती है तो

37/4
24/4/2017



राजस्थान सरकार

सूचना प्रकाश

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

राज्य सरकार/राज्यस्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति सीएफसी की स्थापना के लिए भूमि एवं भवन निर्माण हेतु यथा संभव सहयोग प्रदान करेगी।

15. सीएफसी के संचालन संबंधी समस्त व्यय क्लस्टर में गठित एसपीवी द्वारा ही वहन किये जायें ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं सीएफसी का संचालन वाणिज्यिक आधार पर किया जायेगा।
16. सीएफसी का सुदृढ संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट पूर्ण होने के उपरांत क्रियान्वयन एजेन्सी को 1 वर्ष तक सीएफसी संचालन का फालोअप करने एवं एसपीवी को सहयोग करने की व्यवस्था स्थापित की जायेगी।
17. सीएफसी संचालन का फालोअप करने एवं एसपीवी को सहयोग करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एसपीवी को आवश्यकतानुसार राज्य स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित एक मुश्त कॉरपरस फंड स्वीकृत किया जा सकेगा। इस फंड से एसपीवी क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए भुगतान कर सकेगी।
18. एक वर्ष के बाद सीएफसी संचालन संबंधी समस्त व्यय एसपीवी को ही वहन करने होंगे, इस हेतु कोई राजकीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

11. एसपीवी के गठन की प्रक्रिया

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिन क्लस्टर में सीएफसी की स्थापना की जायेगी उनमें सीएफसी का संचालन सुनिश्चित करने के लिए एसपीवी का गठन अनिवार्यतः किया जायेगा। यह एसपीवी किसी

37/5
24/4/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं

शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

सहकारी समिति, फेडरेशन, एसोसिएशन, प्रोड्यूसर कंपनी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में गठित की जा सकेगी। एसपीवी का गठन जिस रूप में किया जायेगा उसके गठन हेतु तदनुरूप आवश्यक विधिक एवं स्थापित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

12. प्रोजेक्ट समाप्ति पर सीएफसी का एसपीवी को हस्तांतरण

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर में प्रोजेक्ट अवधि समाप्त होने पर क्लस्टर में स्थापित सीएफसी का हस्तांतरण एसपीवी को कर दिया जायेगा, जिसकी निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

1. क्लस्टर में स्थापित सीएफसी की भूमि, भवन, मशीनरी एवं उपकरण तथा समस्त परिसंपत्तियां जिला उद्योग केन्द्र/राज्य सरकार के अधिग्रहण में रहेंगी।
2. सीएफसी में स्थापित परिसंपत्तियों के केवल उपयोग का अधिकार क्लस्टर में गठित एसपीवी को दिया जायेगा।
3. क्लस्टर में स्थापित सीएफसी की समस्त परिसंपत्तियां प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर जिला उद्योग केन्द्र, एसपीवी एवं क्रियान्वयन एजेन्सी के मध्य अनुबंध (परिशिष्ट-8) के तहत एसपीवी को हस्तांतरित की जायेगी, जिसमें क्रियान्वयन एजेन्सी एसपीवी को आवश्यकतानुसार अधिकतम एक वर्ष तक सपोर्ट करने एवं सर्विस प्रोवाइडर के रूप में रहेगी।

3(अ). क्लस्टर में सीएफसी की स्थापना से पूर्व ही परियोजना अवधि पूर्ण हो जाने एवं क्रियान्वयन एजेन्सी के परियोजना से पृथक हो जाने पर, एसपीवी द्वारा सीएफसी की स्थापना किये जाने पर, सीएफसी की

375
24/4/2017



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

परिसंपत्तियां जिला उद्योग केन्द्र एवं एसपीवी के मध्य द्विपक्षीय अनुबंध के माध्यम से एसपीवी को हस्तांतरित की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में सीएफसी का संचालन संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के मार्गदर्शन एवं सपोर्ट से किया जायेगा। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ./क्ल. अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा सम्मिलित किया गया)

4. क्लस्टर के दस्तकार/लघु उद्यमी अनुबंध की शर्तों के तहत सीएफसी में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग निर्बाध रूप से करते रहेंगे।
5. यदि क्लस्टर के दस्तकारों/लघु उद्यमियों/एसपीवी के सदस्यों के मध्य कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न होगा तो उसका समाधान जिला स्तर पर गठित मोनिटरिंग कमेटी द्वारा किया जायेगा।
6. जिला स्तरीय कमेटी द्वारा विवाद के समाधान में विफल रहने पर इसका समाधान राज्यस्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संबंधित पक्षों की सुनवाई कर किया जायेगा।
7. राज्यस्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति के स्तर पर भी विवाद का सर्वमान्य हल नहीं निकलने पर क्लस्टर में स्थापित सीएफसी की समस्त परिसंपत्तियां जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अपने कब्जे में ले ली जायेगी।
8. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कब्जे में ली गयी सीएफसी की परिसंपत्तियों के भविष्य में उपयोग/निस्तारण के संबंध में राज्यस्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो अंतिम होगा।

37
24/4/2017



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

13. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के फालोअप की प्रक्रिया

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा संपन्न की गयी क्लस्टर विकास गतिविधियां एवं क्लस्टर में स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर(सीएफसी) तथा उनके संचालन से संबंधित गतिविधियों के फालोअप की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

1. क्लस्टर में क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा संपन्न गतिविधियों के तहत क्लस्टर के दस्तकारों/लघु उद्योगों को प्रदत्त कौशल, डिजाइन, तकनीकी ज्ञान, विपणन प्रोत्साहन पद्धति एवं सीएफसी में उपलब्ध सामान्य सुविधाओं का उपयोग सुनिश्चित करने एवं एसपीवी को सपोर्ट प्रदान करने के लिए एसपीवी से 1 वर्ष का फालोअप प्लान तैयार कराया जायेगा।
2. एसपीवी द्वारा तैयार किये गये फालोअप प्लान के अनुसार राज्य स्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति एसपीवी को स्वीकृत किये जाने वाले एक मुश्त कॉरपरस फंड का निर्धारण/स्वीकृत करेगी।
3. एसपीवी द्वारा किये जा रहे फालोअप की मोनिटरिंग संबंधित महाप्रबन्धक, जि.उ.के. द्वारा की जायेगी एवं इसकी प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह जिला स्तरीय मोनिटरिंग कमेटी में प्रस्तुत की जायेगी।
4. जिला स्तरीय मोनिटरिंग कमेटी द्वारा क्लस्टर की फालोअप प्रगति रिपोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी जिसे राज्यस्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति में प्रस्तुत किया जायेगा।

37/25
24/4/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

14. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेन्सियों का निरस्तीकरण एवं वसूली की प्रक्रिया

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेन्सियों का मनोनयन निरस्त करने एवं उन्हें स्वीकृत अग्रिम राशि जो उपयोग में नहीं ली गयी है, की वसूली की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

1. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मनोनीत कोई भी क्रियान्वयन एजेन्सी यदि अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करेगी एवं अनुमोदित क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतेगी तो उसका मनोनयन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निरस्त किया जाकर वसूली की जा सकेगी :-

1. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मनोनीत क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं करने एवं अनुमोदित क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने पर महाप्रबन्धक, जि.उ.के. द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सी को नोटिस दिया जायेगा।
2. महाप्रबन्धक, जि.उ.के. द्वारा दिये गये नोटिस की अनुपालना क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा नहीं करने पर महाप्रबन्धक, जि.उ.के. क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं बरती जा रही शिथिलता के संबंध में अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट आयुक्त, उद्योग को प्रेषित करेंगे।
3. महाप्रबन्धक, जि.उ.के. से क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं बरती जा रही शिथिलता के संबंध में प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट पर दोनों पक्षों की सुनवायी आयुक्त, उद्योग द्वारा की जायेगी।
4. आयुक्त, उद्योग द्वारा की गयी सुनवाई में दोषी पाये जाने पर क्रियान्वयन एजेन्सी का मनोनयन निरस्त करने एवं क्रियान्वयन एजेन्सी को स्वीकृत अग्रिम राशि, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, की वसूली हेतु प्रस्ताव राज्य स्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति में रखा जायेगा।

24/4/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

5. राज्यस्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय उपरांत कियान्वयन एजेन्सी का मनोनयन निरस्त कर दिया जायेगा एवं एजेन्सी को बकाया राशि वसूली हेतु विधिक नोटिस संबंधित महाप्रबन्धक, जि.उ.के. द्वारा जारी किया जायेगा। (आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ./क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-III/2016 दिनांक 24.04.2017 द्वारा संशोधित)
6. कियान्वयन एजेन्सी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराने पर इसकी वसूली भू-राजस्व अधिनियम/पीडीआर एक्ट के तहत की जायेगी।

15. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के मैनुअल में संशोधन

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किये गये उक्त मैनुअल में संशोधन के अधिकार राज्यस्तरीय क्लस्टर विकास सर्वाधिकार प्राप्त समिति को ही होंगे।

37/15
24/4/2017



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

परिशिष्ट-1

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम में एस.एम.ई. क्लस्टरों के चयन हेतु

बेस-लाईन सर्वे का प्रारूप

1. क्लस्टर का नाम
2. क्लस्टर का क्षेत्र (ग्राम/मोहल्ले/एरिया का विवरण)
3. क्लस्टर के मुख्य-मुख्य उत्पाद
4. क्लस्टर में स्थित इकाइयों की संख्या (उत्पादवार)
5. क्लस्टर में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियोजन का विवरण (उत्पादवार)
6. क्लस्टर में विनियोजन का विवरण
7. क्लस्टर के विभिन्न उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया
8. क्लस्टर के उत्पादों हेतु वांछित कच्चेमाल का विवरण मय लागत
9. कच्चेमाल की उपलब्धता के स्रोत
10. क्लस्टर के उत्पादों का विपणन कहां कहां होता है।
11. क्लस्टर का वार्षिक टर्नओवर
12. क्लस्टर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
13. क्लस्टर में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का विवरण
14. क्या क्लस्टर में कोई एसोसिएशन कार्यरत है, यदि हां तो उसका नाम एवं अध्यक्ष/सचिव का नाम एवं दूरभाष/मोबाइल/फैक्स नम्बर/आर्थिक स्थिति

अत
24/4/2011



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

15. क्लस्टर में उपलब्ध वित्त के स्रोतों का विवरण
16. क्लस्टर का SWOT विश्लेषण (क्लस्टर के मजबूत पक्ष/कमजोरियां/अवसर एवं चुनौतियों का विवरण)
17. क्लस्टर की मुख्य मुख्य समस्यायें
18. क्लस्टर में अभी तक विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी केन्द्रीय/राज्य सहायता का विवरण।
19. क्लस्टर की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा का विवरण (परस्पर/अन्य क्षेत्र की इकाइयों से)
20. क्लस्टर के विकास हेतु सुझाव
21. क्लस्टर के विकास की कार्ययोजना का विवरण मय वित्तीय आवश्यकता के
22. कार्य योजना का क्रियान्वयन किस एजेन्सी के माध्यम से कराया जायेगा।
23. कार्य योजना में प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु किन किन दक्ष एवं तकनीकी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा।
24. कार्य योजना के क्रियान्वयन की मासिक रूपरेखा का विवरण
25. कार्ययोजना की कुल अवधि कितनी रहेगी
26. क्या क्लस्टर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना आवश्यक है, यदि हां तो उसके माध्यम से कौन कौन सी सुविधायें क्लस्टर की इकाइयों को उपलब्ध करायी जायेंगी, उनका विवरण
27. कामन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना हेतु कितनी भूमि की आवश्यकता होगी। क्या यह भूमि एसोसिएशन के पास उपलब्ध है, यदि नहीं तो क्या क्षेत्र में राजकीय/निजी भूमि उपलब्ध है, का पूर्ण विवरण मय लागत दें

37/11
24/4/2011



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

28. कॉमन फ़ैसिलिटी सेंटर के संचालन हेतु क्या एस.पी.वी. का गठन कर लिया गया है, यदि हां तो उसका विवरण। यदि नहीं तो इसका गठन किस रूप में किया जायेगा (फ़ैडरेशन/प्रोड्यूसर कम्पनी/प्रा.लि. कंपनी आदि)
29. एस.पी.वी. के संचालन की व्यूह रचना एवं फिजिबिलिटी का आंकलन (सीएफसी की देखरेख एवं रख रखाव संबंधी व्यय, संचालन व्यय एवं कार्मिकों के वेतन/भत्ते आदि के भुगतान एवं आय के स्रोतों का पूर्ण विवरण देवें)
30. सी.एफ.सी. में स्थापना हेतु प्रस्तावित मशीनरी एवं उपकरणों का विवरण
31. कार्ययोजना की कुल लागत
32. कार्य योजना की लागत में क्लस्टर की इकाइयों का योगदान कितना होगा
33. क्लस्टर में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं के सृजन की आवश्यकता का विवरण
34. आधारभूत सुविधाओं के विकास/सृजन की कार्य योजना एवं लागत का विवरण
35. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अभिशंषा

31/5
24/4/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

परिशिष्ट-2

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम में आर्टीजन क्लस्टरों के चयन हेतु
बेस-लाईन सर्वे का प्रारूप

1. क्लस्टर का नाम
2. क्लस्टर का क्षेत्र (ग्राम/मोहल्ले/एरिया का विवरण)
3. क्लस्टर के मुख्य-मुख्य उत्पाद
4. क्लस्टर में उपलब्ध दस्तकारों की संख्या (उत्पादवार)
5. क्लस्टर में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियोजन का विवरण (उत्पादवार)
6. क्लस्टर में विनियोजन का विवरण
7. क्लस्टर के विभिन्न उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया
8. क्लस्टर के उत्पादों हेतु वांछित कच्चेमाल का विवरण मय लागत
9. कच्चेमाल की उपलब्धता के स्रोत
10. क्लस्टर के उत्पादों का विपणन कहां कहां होता है।
11. क्लस्टर में दस्तकारों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय
12. क्लस्टर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
13. क्लस्टर में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का विवरण
14. क्या क्लस्टर में कोई एसोसिएशन/स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं, यदि हां तो उनका नाम एवं अध्यक्ष/सचिव का नाम एवं दूरभाष/मोबाइल/फैक्स नम्बर
15. क्लस्टर में उपलब्ध वित्त के स्रोतों का विवरण
16. क्लस्टर का SWOT विश्लेषण (क्लस्टर के मजबूत पक्ष/कमजोरिया/अवसर एवं चुनौतियों का विवरण)
17. क्लस्टर की मुख्य मुख्य समस्यायें

37/1
24/4/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं

शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

18. क्लस्टर में अभी तक विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी केन्द्रीय/राज्य सहायता का विवरण।
19. क्लस्टर में दस्तकारों के मध्य प्रतिस्पर्धा का विवरण (परस्पर/अन्य क्षेत्र के दस्तकारों से)
20. क्लस्टर के विकास हेतु सुझाव
21. क्लस्टर के विकास की कार्ययोजना का विवरण मय वित्तीय आवश्यकता के
22. कार्य योजना का क्रियान्वयन किस एजेन्सी के माध्यम से कराया जायेगा।
23. कार्य योजना में प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु किन किन दक्ष एवं तकनीकी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा।
24. कार्य योजना के क्रियान्वयन की मासिक रूपरेखा का विवरण
25. कार्ययोजना की कुल अवधि कितनी रहेगी
26. क्या क्लस्टर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना आवश्यक है, यदि हां तो उसके माध्यम से कौन कौन सी सुविधायें क्लस्टर की इकाइयों को उपलब्ध करायी जायेंगी, उनका विवरण
27. कामन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना हेतु कितनी भूमि की आवश्यकता होगी। क्या यह भूमि एसोसिएशन के पास उपलब्ध है, यदि नहीं तो क्या क्षेत्र में राजकीय/निजी भूमि उपलब्ध है, का पूर्ण विवरण मय लागत दें
28. कॉमन फैसिलिटी सेंटर के संचालन हेतु क्या एस.पी.वी. का गठन कर लिया गया है, यदि हां तो उसका विवरण। यदि नहीं तो इसका गठन किस रूप में किया जायेगा (फैडरेशन/प्रोड्यूसर कम्पनी/प्रा.लि. कंपनी आदि)
29. एस.पी.वी. के संचालन की ब्यूह रचना एवं फिजिबिलिटी का आंकलन (सीएफसी की देखरेख एवं रख रखाव संबंधी व्यय, संचालन व्यय एवं कार्मिकों के वेतन/भत्ते आदि के भुगतान एवं आय के स्रोतों का पूर्ण विवरण दें)
30. सी.एफ.सी. में स्थापना हेतु प्रस्तावित मशीनरी एवं उपकरणों का विवरण
31. कार्ययोजना की कुल लागत

31/5/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

32. कार्य योजना की लागत में क्लस्टर के दस्तकारों का योगदान कितना होगा
33. क्लस्टर में आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं के सृजन की आवश्यकता का विवरण
34. आधारभूत सुविधाओं के विकास/सृजन की कार्ययोजना एवं लागत का विवरण
35. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अभिशंषा

37/15
24/4/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

परिशिष्ट-3

**राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत
क्लस्टर के चयन के आधार**

1. क्लस्टर के चयन हेतु प्रस्ताव महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त हुए हों।
2. महाप्रबन्धक की रिपोर्ट के अनुसार क्लस्टर में क्लस्टर विकास गतिविधियों के संचालन की संभावना हो।
3. क्लस्टर में कौशल उन्नयन, डिजाइन विकास, तकनीकी उन्नयन एवं विपणन प्रोत्साहन की आवश्यकता हो।
4. क्लस्टर विकास गतिविधियों के संचालन से क्लस्टर में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होते हों।
5. क्लस्टर विकास गतिविधियों के संचालन से क्लस्टर के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार की संभावना हो।
6. क्लस्टर विकास गतिविधियों के संचालन से क्लस्टर की उत्पादन क्षमता एवं टर्नओवर में वृद्धि की संभावना हो।
7. क्लस्टर में पूर्व में अन्य किसी एजेन्सी द्वारा क्लस्टर विकास गतिविधियों का संचालन नहीं किया गया हो।

37/5
24/4/2017



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

परिशिष्ट-4

डाइग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीएस कम डीपीआर)
तैयार कराने एवं क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में संस्था/कंसल्टेंट के
चयन हेतु पात्रता की शर्तें

1. संस्था/कंसल्टेंट सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट/संस्था अधिनियम/भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो। आवश्यक होने पर आयकर अधिनियम के तहत भी पंजीकृत हो।
2. संस्था/कंसल्टेंट के मुख्य कार्यकारी अथवा मनेजिंग कमेटी के सदस्य किसी अपराध के लिए सजा प्राप्त न हों।
3. संस्था/कंसल्टेंट एजेन्सी में 2 से अधिक निकट रिश्तेदार नहीं हों।
4. संस्था/कंसल्टेंट एजेन्सी गैरराजनैतिक एवं धर्म निरपेक्ष हो।
5. संस्था/कंसल्टेंट एजेन्सी की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो।
6. संस्था/कंसल्टेंट एजेन्सी को प्रोजेक्ट्स क्रियान्वयन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो एवं उसने विगत तीन वर्षों में प्रोजेक्ट्स क्रियान्वयन हेतु आवंटित कम से कम 10 लाख रु. के फंड्स का उपयोग किया हो।
7. संस्था/कंसल्टेंट का वार्षिक टर्नओवर /गतिविधियों पर व्यय वार्षिक राशि विगत तीन वर्षों में औसतन 50 लाख रु. तथा किसी एक वर्ष में कम से कम 25 लाख रु. हो।(आदेश क्रमांक एफ 32(312)आ.उ./क्ल.अनु./क्ल.मैनु./10/पार्ट-प्पदिनांक 13 सितम्बर, 2010 द्वारा संशोधित)

3/1/15
24/4/2011



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

8. स्थानीय संस्था / कंसल्टेंट को क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में मनोनयन में प्राथमिकता दी जायेगी किन्तु विशेष अनुभव होने पर बाहरी संस्था भी स्वीकार्य होगी।
9. संस्था का राज्य में पृथक से कार्यालय हो एवं संस्था चयनित क्लस्टर में भी अपना कार्यालय खोलने हेतु सहमत हो।
10. संस्था/कंसल्टेंट एजेन्सी में मुख्य कार्यकारी के अतिरिक्त पर्याप्त पूर्णकालिक स्टाफ कार्यरत हो एवं संस्था के पास प्राजेक्ट क्रियान्वयन से संबंधित विषय विशेषज्ञ यथा-प्रोजेक्ट मैनेजर, मास्टर ट्रेनर, डिजाइनर, तकनीकी विशेषज्ञ एवं मार्केटिंग असिस्टेंट का पैनल उपलब्ध हो।
11. संस्था/कंसल्टेंट एजेन्सी में दानदाताओं/लाभान्वितों से सहयोग/जनसहयोग जुटाने की क्षमता हो।
12. संस्था/कंसल्टेंट एजेन्सी की राजकीय संस्थाओं/समाज एवं दानदाताओं में अच्छी प्रतिष्ठा हो तथा वह विगत तीन वर्षों में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं हुई हो।
13. संस्था/कंसल्टेंट एजेन्सी में लेखा संधारण/अंकेक्षण एवं मानव श्रम प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था हो।
14. संस्था/कंसल्टेंट एजेन्सी चयनित होने पर एमओयू निष्पादित करते समय नियमानुसार धरोहर राशि एवं अन्य शुल्क जमा कराने हेतु सहमत हो।
15. संस्था/कंसल्टेंट एजेन्सी जिला उद्योग केन्द्र एवं मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना हेतु सहमत हो।

अम
24/4/2017

क्लस्टर की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के क्रियान्वयन की व्युह रचना (टाईम मैट्रिक्स)

क्लस्टर का नाम -

परियोजना अवधि-


टाईम मैट्रिक्स वर्ष -

क्रम सं.	अनुमोदित गतिविधि का नाम	प्रोजेक्ट क्रियान्वयन की टाईम मैट्रिक्स											
		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

हस्ताक्षर अध्यक्ष / सचिव, क्रियान्वयन एजेंसि

हस्ताक्षर सीडीई

हस्ताक्षर महाप्रबन्धक, जि.उ.के.-



37
24/4/2017



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

परिशिष्ट-6

क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के कार्य

1. क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव क्लस्टर के चयन हेतु बेसलाईन सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगा।
2. क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव क्लस्टर की डाइग्नोस्टिक स्टडी कम विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में, चयनित संस्था/कंसल्टेंट्स को सहयोग प्रदान करेगा।
3. क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव अनुमोदित क्लस्टर डेवलपमेंट प्राजेक्ट के क्रियान्वयन में क्रियान्वयन एजेन्सी को सहयोग प्रदान करेगा।
4. क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव निरन्तर क्लस्टर के दस्तकारों/उद्यमों तथा क्रियान्वयन एजेन्सी के संपर्क में रहकर क्लस्टर विकास गतिविधियों के संचालन की देखरेख करेगा।
5. क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव क्लस्टर में संपन्न होने वाली क्लस्टर विकास गतिविधियों एवं क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा व्यय की जाने वाली राशि का प्रारम्भिक सत्यापन करेगा।
6. क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव क्लस्टर में एसपीवी के गठन में सहयोग प्रदान करेगा।
7. क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव सीएफसी में स्थापित होने वाली मशीनों के निर्धारण तथा सीएफसी के संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु तैयार की जाने वाली फिजिबिलिटी रिपोर्ट में सहयोग प्रदान करेगा।
8. क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव सीएफसी के सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करेगा।
9. क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर भी एसपीवी को हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।

3/11
24/4/2017

-99-

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (माह

क्लस्टर का नाम

कियान्वयन एजेंसी का नाम

अनुमोदित परियोजना लागत


सपलब्ध कराई गई राशि

क्र.सं.	विवरण	पूर्व के माह तक प्रगति	मासिक प्रगति	प्रगतिशील योग
	भौतिक प्रगति:			
1.	आर्टीजन असिस्टेड सेन्टर की स्थापना			
2.	क्लस्टर विकास समूहों का गठन i. माटीवहन समितियाँ ii. फॉलोअप सेमिनार iii. समूहों का गठन			
3.	स्किल डवलपमेंट प्रशिक्षण i. प्रशिक्षण अवधि ii. प्रशिक्षणार्थियों की संख्या			
4.	डिजाईन डवलपमेंट प्रशिक्षण i. प्रशिक्षण अवधि ii. प्रशिक्षणार्थियों की संख्या			
5.	तकनीकी सन्नयन प्रशिक्षण i. प्रशिक्षण अवधि ii. प्रशिक्षणार्थियों की संख्या			
6.	एवपोजर विजिट्स i. स्थान ii. अवधि iii. भाग लेने वाले दस्तावेजों की संख्या			
7.	मेलों व प्रदर्शनियों में सहभागिता i. राष्ट्रीय स्तर _____ ii. राज्य स्तर _____ iii. जिला स्तर _____ iv. बिक्री v. प्राप्त आदर्श			
8.	कंता विक्रेता सम्मेलन i. अवधि ii. स्थान iii. संभागियों की संख्या iv. बिक्री v. प्राप्त आदर्श			
9.	वेबसाइट की एंशान दिव मता			

37
24/4/2017

10.	अन्य			
	i.			
	ii.			
	iii.			
	iv.			
	v.			
	vi.			
	वित्तीय प्रगति		(लाख की गई राशि का विवरण)	
1.	आर्टिजान ऑपिस्टोल्स सन्टर की स्थापना			
2.	क्लस्टर विकास समूहों का गठन			
3.	स्विकृत डेवलपमेंट प्रशिक्षण			
4.	डिजाइन डेवलपमेंट प्रशिक्षण			
5.	तकनीकी उन्नयन प्रशिक्षण			
6.	एकपक्षीय विजिटस			
7.	मेलों व प्रदर्शनियों में सहभागिता			
8.	कला दिवस सम्मेलन			
9.	वेबसाइट की स्थापना			
10.	अन्य			
			योग	
	कठिनाईयां / सुझाव			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
<u>क्लस्टर की विशेष उपलब्धियां</u>				

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त सभी क्लस्टर विकास गतिविधियां सम्पन्न कर ली गई है एवं इन पर व्यय की गई राशि का विवरण रिकार्ड के अनुसार सही है। संस्था को गत माह तक व्यय की गई राशि लाख रु. का भुगतान स्वीकृति आदेश क्रमांक दिनांक द्वारा किया जा चुका है। स्वीकृति आदेश एवं संस्था की भुगतान प्राप्त रसीद की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है।



महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केंद्र

4/4/2017

Format for Tripartite Agreement among Special Purpose Vehicle (SPV) State Government and Implementing Agency under State Cluster Development Programme (SCDP)

This agreement is made at.....on the.....day of..... 2009 between (1) the Governor of Rajasthan acting through and represented by General Manager, District Industries Centre (hereinafter referred to as the GOR) (2) President/Secretary of the Implementing Agency (hereinafter referred to as the IA) and (3) ...Special Purpose Vehicle (SPV) having its registered office at.....represented by its Managing Director/Chief Executive Officer (hereinafter referred to as the SVP).

WHEREAS the GOR Industries Department has introduced a scheme named as State Cluster Development Programme (SCDP) with the objective of capacity building of micro and small enterprises (including small scale industries and small scale service and business entities) and their collectives in the State of Rajasthan.

AND WHEREAS the SPV has been created and constituted as a partnership firm/trust/society/co-operative society/ company, inter alias, to create, establish, run and mention a Common Facility Centre at(the CFC) for the use and benefit of its members and of others units engaged or coming up in the same industry, trade or vocation in the of (the Cluster).

AND WHEREAS the SPV has submitted a project for approval of the Government of India under the MSECDP/ Government of Rajasthan under SCDP. AND WHEREAS the GOR has approved the project submitted by the SPV subject to the conditions mentioned in the Sanction letter No.....dated.....(or to be issued which shall be deemed to be a part of this Agreement and the GOR has agreed to contribute towards of establishment of the CFC.


AND WHEREAS for binding the Parties to their respective obligations and to ensure long term use of the CFC by the enterprises in the Cluster, the Parties are desirous to enter into an agreement:

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. The SPV shall set up the CFC at.....on a piece of land to be provided by GOR free of all encumbrances and charges.
2. The SPV shall contribute to the cost of establishment of the CFC from its resources to the extent and in the form as laid down in the Sanction Letter.
3. The GOR shall, on satisfactory proof of the contribution by the SPV, make their respective contributions towards the cost of establishment of the CFC, at such time, in such manner and to such extent as laid down in the Sanction Letter.

39A
24/4/2017


4. The establishment of the CFC including civil works, if any, shall be completed by the SPV through the agency approved by GOR within one year of the receipt of the Sanction letter or such extended time as the GOR may, on its satisfaction as to the reasons of delay, grant.
5. The SPV shall be exclusively responsible for the day-to-day running of the CFC. The aim of running the CFC shall be to provide common services to the artisans/the Cluster at affordable cost as well as to generate enough income to meet all its running expenditure, depreciation and provision for replacement/expansion of capital assets. However, any short fall or excess of income over expenses shall be kept or borne by the SPV only.
6. The disbursement of funds by the GOR will be made only after the upfront contribution to be made by the SPV or the beneficiaries, as the case may be.
7. Further the SPV/Implementing Agency will ensure that necessary infrastructure like provisioning of land and building including water and power supply for CFC, is completed before they approach GOR for release of its share.
8. Pending utilization of COR grant, the funds will be parked in a separate dedicated bank account created for this purpose. Interest accrued, if any, on unutilized fund shall be adjusted against future disbursement under the scheme.
9. The GOR will reserve the right to carry out physical verification of the assets acquired with the funds or initiate any other enquiry as it may deem fit to satisfy the competent authority with regard to the proper utilization of the funds released.
10. The SPV/ shall furnish utilization certificates for amounts released as grant-in aid- duly verified by the statutory auditors.
11. The GOR will act as a facilitator to supervise and evaluate the progress of the project separately. The GOR will also inform the GOI about the status of the establishment or running of CFC and shall also report to the GOI for any discrepancies in its management or otherwise, if GOI sanctions grant for the CFC.
12. All plant, machinery, fixtures or equipment procured for the purpose of the CFC out of or with the support of the GOI or GOR grant shall be the exclusive property of the GOR, though in the custody and use of the SPV.
13. The SPV shall at its own cost, insure and keep insured all the plant, machinery, fixtures and equipment of the CFC for a minimum period of 10 years. In case of loss of or damage to such plant, machinery, fixture and equipment, etc. the insurance monies shall be payable to the GOR.
14. The SPV shall observe all the conditions and stipulations of the Sanction Letter.



37A
24/4/2017

- 15. The management of the SPV and the operation of the CFC shall be in accordance with the GOR Guidelines dated.....which shall be deemed to be a part of this Agreement.
- 16. The SPV shall keep all monies not immediately required in interest bearing deposits in separate Bank Account with any Scheduled Bank of India
- 17. In the event of any liquidation or bankruptcy proceedings or any threatened distress action against the SPV or any of its assets all plant, machinery, fixtures and equipment procured for the purpose of the CFC out of or with the support of the GOR grant shall be outside such proceedings and the GOR may assume the control and management of the SPV and appoint any of its officer (General Manager of concern District Industries Centre) to run the CFC.
- 18. The SPV represents and warrants:
 - A. That it has been duly constituted under the law as applicable and has full authority to enter into this Agreement.
 - B. That this agreement is binding upon it in all its provisions.
 - C. That it shall work on mutual co-operation basis on sound managerial and business principles and no managerial changes shall be made which may adversely affect the smooth functioning of the CFC.
 - D. That it shall work keep all the plant, machinery fixtures and equipment in good working order and shall undertake all preventive and remedial maintenance and upkeep and maintain insurance.
 - E. That the plant, machinery, fixtures and equipment procured out of or with support of the GOR grant is the property of GOR and the SPV shall not sell, hypothecate, mortgage, charge or create any encumbrances against the said plant, machinery, fixtures and equipment or any part of it in favor of any person, for any reason or transaction.
 - F. That the SPV shall follow the directions of the GOR as may be issued from time to time for better management of the SPV or the better running of the CFC. In case any conflict of opinion arises between SPV and GOR on these issues, the decision of GOR will be final.
 - G. That the SPV acknowledges that the SCDP provides for only one time grant towards capital cost of establishing the CFC and no subsidy/grant /assistance is envisaged for the recurring expenses or for replacement renovation or expansion of the capital assets.

SPV
 24/4/20



- H. In the event it is found that the SPV has not utilized the amount of grant or any part of it, for the setting up of the CFC or has subsequently sold or otherwise disposed of any of the assets of the CFC acquired out of the grant the GOR without prejudice to any other rights, shall be entitled to recover the amount of loss or arrears of land revenue from the SPV and/or persons connected with its management jointly and severally.
19. In case of any disputes or differences arising from in relation to or in connection with this Agreement and not otherwise provided for in the succeeding clause, shall be settled by State Level Cluster Development Empowered Committee.
20. In case of violation of the stipulated conditions or non observance of the Sanction Letter or the GOR guidelines by the SPV which is not cured within 15 days of issue of notice by the GOR may for such time as it may think proper, assume the management of the SPV to assure proper functioning of the CFC. The decision of GOR in this regard will be final. In such event the SPV shall have no claims for any investment made in the CFC or its management.
21. The invalidity or unenforceability of any provision of this Agreement shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions, which shall in full force.
22. Failure or delay on the part of GOR in insisting upon strict performance by the SPV or in taking action against the SPV, or grant of time or any other indulgency by the GOR shall not be deemed to be waiver of any breach nor waiver on any occasion of breach.
23. No amendment to this agreement shall be valid unless expressed in writing and duly signed by all the Parties.
24. This agreement does not constitute any partnership of the GOR with the SPV the GOR shall not be responsible for any act, omission, negligence etc. of the SPV or its employees, agents or contractors or any injury suffered or claim made by any person in respect of the working of the CFC.

Signature of the President/Secretary of SPV

Name: _____

Address: _____

Witness:

1. _____

2. _____

24/4/2007

Signature of the President/ Secretary of I. A.


Name: _____
Address: _____

witness:
1. _____
2. _____

Signature of the representative of the GOR (General Manager, DIC)

Name: _____
Seal: _____

Witness:
1. _____
2. _____



3rd
24/4/20